

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11485 / 3499

दिनांक :- २८-०६-२०१९

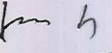
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री राजू लाल शर्मा [लिंक न. 11485] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला मुख्यालय, महात्मा गांधी नरेगा, टौंक - [3000176] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 05/03/2019 से 03/05/2019 तक 60 दिवस

कुल 60 दिवस

उक्त कुल 60 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री राजू लाल शर्मा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11485 / 3499

दिनांक :- 28-०६-२०१९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला मुख्यालय, महात्मा गांधी नरेगा, टौंक
2. कोषाधिकारी टौंक
3. श्री /श्रीमती / सुश्री राजू लाल शर्मा [11485] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला मुख्यालय, महात्मा गांधी नरेगा, टौंक
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)